

341

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

12016 निगरानी

निग-3408-II-16

हेमन्त कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद मिश्रा,
निवासी बाहं क्रमांक-6, नगर पंचायत रामपुर
नैकिन, तेहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी
(मध्यप्रदेश)

का

----- प्राथी

दिनांक 30-9-16 को
श्री राजू के काकाजी
को कोर्ट प्रस्तुत
30-9-16

बिराघ्द
श्री दयाशंकर

1- बघाशंकर पुत्र जगदीश प्रसाद, निवासी विजय
मार्केट, बड़सैदा, मोपाल -म०प्र०।

की

2- सु० शिवकुमारी वैवा उदयशंकर,

3- प्रवीण

पुत्राण उदय शंकर,

ही

4- वैभव

निवासी गण ग्राम सुन्दा जिला देवरिया, उत्तरप्रदेश।

----- प्रतिप्राथी गण

निगरानी बिराघ्द आदेश तेहसीलदार महादेव रामपुर नैकिन जिला
सीधी दिनांकी 18-08-16, अर्तगत धारा 40 मध्यप्रदेश मू-राजस्व
संहिता, 1974 प्र०क्र० 61 अ-27/15-16।

कि
के
न

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है।
- 2- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही रूप से नहीं समझा है।
- 3- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 170 मू-रोजस्व संहिता, के परन्तुक का अर्थ सही नहीं समझा है।
- 4- यह कि, प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न उपस्थित होने से प्रकरण की कार्यवाही धारा 170 के परन्तुक के प्रावधान के अनुसार स्थगित


3

— 2 —
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक—निगरानी—3408—दो/2016

जिला—सीधी

हेमन्त कुमार विरुद्ध दयाशंकर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री एस.के. अवस्थी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार रामपुर नैकिन, जिला—सीधी के प्रकरण क्रमांक 61/अ-27/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 14-09-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 08-05-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: right;"> (आर0के0 जैन) सदस्य</p> <p style="text-align: right;">1-3-19</p>